इकाई 18 भू-राजस्व व्यवस्था : मराठा, दक्खन और दक्षिण भारत

इकाई की रूपरेखा

18.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- दक्खन और दक्षिण भारत के राजस्व मूल्यांकन की व्यवस्था को जान सकेंगे;
- कृषि उत्पादन में राज्य के हिस्से और इसे वसूल करने के तरीके का उल्लेख कर सकेंगे;
- राजस्व वसूली की प्रक्रिया में राजस्व के ठेकेदारों की भूमिका पर प्रकाश डाल सकेंगे;
- राजा के साथ स्वायत्त शासकों के सम्बन्धों का वर्णन कर सकेंगे;
- भूमि कर के अतिरिक्त दक्खन और दक्षिण भारतीय राज्यों के अन्य राजस्व स्रोतों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे; और
- भू-राजस्व की प्रकृति और किसानों के साथ राज्य के सम्बन्धों पर प्रकाश डाल सकेंगे।

18.1 प्रस्तावना

इस पाठ्यक्रम की इकाई 3, 9 और 12 में आप दक्खन और दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनैतिक प्रक्रिया के निर्माण की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इकाई 10 में मराठा शक्ति के उदय और मुगलों के साथ उनके संबंधों की भी चर्चा की जा चुकी है। दक्खन और दक्षिण भारतीय राज्यों की भू-राजस्व व्यवस्था पर विचार करने के पूर्व आइये हम पहले आपको दक्खन और दक्षिण भारतीय राज्यों की भू संरचना और प्रशासनिक विभाजनों की जानकारी दे दें। (इस खंड की इकाई 19 में दक्खन तथा दक्षिण भारत में कृषीय संबंधों का विस्तार से सर्वेक्षण किया जाएगा।) पूरी भूमि तीन भागों में विभक्त थी (1) राज्य भूमि जो

कि **भण्डारवडा** या **मुआमला** के नाम से जानी जाती थी, (2) सेनानायकों का सेना के रखरखाव के लिए दी जाने वाली भूमि को **असरा, मोकासा** और वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि को **जागीर** और **सरंजाम** कहते थे, तथा (3) राजस्व-मुक्त भू-अनुदान (**मान्य, इनाम**)। किसानों के अधिकार वाली भूमि **मिरास** कहलाती थी। किसानों के भूमि पर अधिकार को **मिरासी** अधिकार कहते थे।

राज्य के सीधे प्रबंधन वाली भूमि की देखरेख का भार **मोकासादारों** पर रहता था जिन्हें राजा अपनी इच्छा से स्थानान्तरित कर सकता था। परन्तु आमतौर पर ये लंबे समय तक एक स्थान पर बने रहते थे और कभी-कभी उनके पुत्र उनका स्थान ग्रहण करते थे। किसान का भूमि पर स्वामित्व था। सामुदायिक स्वामित्व के उदाहरण भी मिल जाते हैं। कुछ जमीन (अधिकांशतः बंजर) पर पूरे गांव का अधिकार होता था और पंचायत द्वारा इसकी देख-रेख की जाती थी। **मौजा** कर निर्धारण और मूल्यांकन की सबसे छोटी इकाई थी। कई गांव मिलकर एक राजस्व इकाई **महाल** बनती थी। कई गांव को मिलाकर **तरफ, टप्पा करयात, सिम्त** बनते थे। कई परगनों को मिलाकर **सूबा** प्रांत, प्रदेश बनता था। शिवाजी का साम्राज्य तीन प्रांतों में विभाजित था जिसके मुखिया **सरसूबेदार** होते थे।

इस पृष्ठभूमि की जानकारी के बाद आइये हम दक्खन और दक्षिणी भारत की भू-राजस्व व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करें।

18.2 भू-राजस्व व्यवस्था : मराठा और दक्खनी राज्य

दक्खनी राज्यों की भू-राजस्व व्यवस्था के निर्माण में निजामशाही प्रधानमंत्री मलिक अम्बर का महत्वपूर्ण योगदान है। उसने पहली बार राजस्व निर्धारण और वसूली का सर्वोत्तम वैज्ञानिक तरीका विकसित किया। उस पर टोडरमल के नियमों का प्रभाव था। कुछ फेर बदल के साथ सभी दक्खनी राज्यों (बीजापुर गोलकुंडा और अहमदनगर) और मराठों ने अपनी राजस्व व्यवस्था उसी के बनाये अधिनियमों पर निर्धारित की।

18.2.1 कर निर्धारण विधि

मलिक अम्बर के अधीन कर निर्धारण वास्तविक जमीन पर की गयी खेती और उत्पादित फसल के नगद मूल्य के आधार पर किया जाता था। लेकिन उसने कभी भी भूमि का सर्वेक्षण नहीं कराया। कर निर्धारण और मूल्यांकन वास्तविक माप के आधार पर नहीं बल्कि अनुमान पर आधारित था। कर का निर्धारण वंशानुगत ग्रामीण पदाधिकारियों, **देशमुखों** और **पाटिलों** की सहायता से किया जाता था।

परन्तु शिवाजी ने जमीन को मापने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। रस्सी की कमियों (बदलते मौसम के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है) को देखते हुए शिवाजी ने इसके स्थान पर **काठी** (मापने की छड़) का प्रयोग आरंभ करवाया। बीस **काठी** मिलकर एक **बीघा** और 120 **बीघे** मिलकर एक **चवर** बनता था। लेकिन **बीघे** के आकार में स्थानीय अंतर मौजूद थे।

1678 ई. में अन्नाजी दात्तो को व्यवस्थित कर निर्धारण का जिम्मा सौंपा गया। इस सर्वेक्षण कार्य के लिए अन्नाजी दात्तों ने **परगना** और ग्रामीण पदाधिकारियों की सहायता ली। परन्तु उन्होंने पूर्णरूपेण इन पदाधिकारियों पर ही भरोसा नहीं कर लिया। उनके मूल्यांकन और कर निर्धारण को जांचने और परखने के लिए उन्होंने एक **टप्पे** के अधीन एक पहाड़ी, एक दलदली और एक काली मिट्टी वाले क्षेत्र का खुद मूल्यांकन किया। कई मामलों में उन्होंने स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा किए गए कर निर्धारण में 25 से 100 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की। इसके अलावा किसानों की भूमि पर कर निर्धारण करते समय उनसे भी विचार-विमर्श किया गया।

मलिक अम्बर ने मोटे रूप से भूमि को दो कोटियों में विभक्त किया : **बागयत** (बागीचा भूमि) और **जिरायत** (खेती की भूमि)। **जिरायत** भूमि को प्रारंभिक काल में चार श्रेणियों में विभक्त किया गया। शिवाजी के शासनकाल में **जिरायत** भूमि कुल मिलाकर बारह कोटियों में विभक्त थी। आमतौर पर बंजर भूमि का कर निर्धारण नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे-जैसे जमीन पर दबाव बढ़ता गया वैसे-वैसे खेती योग्य बंजर जमीन पर खेती की जाने लगी और इन नयी जमीनों का कर निर्धारण किया गया। मलिक अम्बर ने "**प्रगतिशील कर निर्धारण**" की व्यवस्था विकसित की। संभवतः निजामशाही राज्य में इस प्रकार की भूमियों पर पहले दो साल तक कर नहीं लगाया गया लेकिन तीसरे साल से राज्य द्वारा कुल उत्पादन का एक छोटा हिस्सा वसूला जाता था, आठवें साल में पूर्ण दर पर राजस्व की वसूली की जाती थी। लेकिन मराठों के शासन काल में खेती योग्य खाली पड़ी भूमि पर कृषि के पहले ही साल से कर की वसूली शुरू कर दी जाती थी। प्रत्येक वर्ष धीरे-धीरे इसकी दर में वृद्धि की जाती थी और आठवें साल पूर्ण दर पर कर वसूल किया जाता था। मराठों के अधीन कभी-कभी **बीघा** के स्थान पर हलों की संख्या के आधार पर भी कर निर्धारण किया जाता था। कभी-कभी राजस्व के उद्देश्य से 6-7 **बीघाओं** का मूल्यांकन एक **बीघा** के रूप में किया जाता था। मिट्टी की उर्वरा शक्ति के आधार पर भी राजस्व निर्धारण का मानदंड बदलता रहता था। फसलों के आधार पर भी, जैसे गन्ना, दालें, कपास, आदि पर करों का निर्धारण अलग-अलग किया जाता था। यहां तक कि जब दूसरी फसल (मुख्य फसल से अलग) उगाई जाती थी तो द्वितीय फसल का निर्धारण कम दर पर किया जाता था। मिट्टी की उर्वरा शक्ति और अनुमानित उत्पादन के आधार पर भी कर निर्धारण की दर स्थायी रूप से तय कर दी जाती थी। सभी किसानों के लिए कर निर्धारण अलग-अलग होता था, परन्तु वसूली के लिए पूरे गांव को एक इकाई माना जाता था।

बीजापुर के आदिलशाही शासकों ने भी मलिक अम्बर के कर निर्धारण के तरीकों को ही अपनाया। उनके यहां **तनाब** या मापने की छडी के उपयोग का उल्लेख मिलता है। लेकिन गोलकुंडा के बारे में हम बहुत आश्वस्त नहीं हैं कि कर निर्धारण वास्तविक माप पर आधारित होता था या अनुमान पर।

बोध प्रश्न 1

1) **निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए :**

   क) **काठी :**

   ....

   ....

   ....

   ख) "प्रगतिशील कर निर्धारण" :

   ....

   ....

   ....

2) राजस्व व्यवस्था में अन्नाजी दात्तो के योगदान पर विचार कीजिए।

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

18.2.2 भू-राजस्व मांग निर्धारण

मलिक अम्बर के अधीन राजस्व मांग कुल उत्पादन का 2/5 हिस्सा थी। फसल के कुल उत्पाद को नगदी में परिवर्तित कर राजस्व मांग निर्धारित की जाती थी तो यह कुल उत्पाद मूल्य का 1/3 हिस्सा होती थी। मराठों द्वारा भी इतनी ही राजस्व मांग निर्धारित की गयी। लेकिन जब शिवाजी ने अन्य करों को समाप्त कर दिया तो राज्य द्वारा राजस्व मांग समेकित रूप में 40 प्रतिशत कर दी गयी।

कुछ मराठी इलाकों पौमावल और रोहिदखोर (1676 ई.) में बटाई द्वारा कर निर्धारण किया जाता था। इन क्षेत्रों में राजस्व मांग कुल उत्पादन का आधा हिस्सा थी। मराठों ने अपने इलाकों की कम उर्वर भूमि का कर निर्धारण करने के लिए मलिक अम्बर की अनुमान पर आधारित विधि का भी पालन किया।

गोलकुंडा और बीजापुर राज्यों में राजस्व मांग बहुत ज्यादा थी। यहां कुल उत्पादन का आधा हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। आमतौर पर राजस्व का निर्धारण और वसूली नगद और वस्तु दोनों में की जाती थी। परन्तु **बागान** भूमि का कर निर्धारण हमेशा नगद में होता था। गोलकुंडा में आमतौर पर करों की वसूली नगद रूप में की जाती थी।

18.2.3 भू-राजस्व वसूली के तरीके

एक बार राजस्व की मांग निश्चित हो जाने के बाद वार्षिक राजस्व का आकलन कर लिया जाता था। जिसे **जमाबंदी** कहा जाता था। इसके बाद राज्य की कुल अनुमानित आय से राजस्व मुक्त भूमि (**इनाम**, आदि) के राजस्व को घटा लिया जाता था। कुल राजस्व मांग से राज्य पदाधिकारियों को वितरित की गयी भूमि से प्राप्त राजस्व को भी घटा दिया जाता था। शेष राजस्व राज्य द्वारा वसूल किया जाता था। वर्ष में दो बार **रबी** (मई महीने में) और **खरीफ** (अक्तूबर) की कटाई के समय राजस्व वसूल किया जाता था।

भू-राजस्व की वसूली के लिए राज्य द्वारा कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। यहां हम संक्षेप में इन पदाधिकारियों की शक्तियों और कार्यों की चर्चा करने जा रहे हैं। इस खंड की इकाई 19 में इनकी विस्तार से चर्चा की जाएगी।

ग्रामीण स्तर के पदाधिकारी : राजस्व वसूली की जिम्मेदारी गांव के मुखिया (**मुकद्दम, पाटिल**) पर होता था। उसकी सहायता के लिए एक लेखाकार (**कुलकर्णी**) होता था।

टप्पा और परगना स्तर के पदाधिकारी

टप्पा स्तर पर **देशमुख** या **देसाई** राजस्व वसूल किया करते थे। उनकी सहायता **कारकुन** (लिपिक) करते थे। राजस्व वसूली के लिए वह एक सशस्त्र दल साथ रखता था। अपनी इस सेवा के बदले में उसे कुल प्राप्त राजस्व का पांच प्रतिशत प्राप्त होता था। इसके अलावा वह राजस्व मुक्त वंशानुगत भूमियों पर भी नियंत्रण रखता था। लेखा-जोखा रखने के लिए **देशपाण्डे** या **देशकुलकर्णी** उसकी सहायता के लिए होते थे। ये लेखाकार विभिन्न करों, खेती की गयी भूमि, बोई गयी फसल आदि का लेखा-जोखा रखते थे। इसके बदले में उन्हें राजस्व में से निश्चित हिस्सा मिलता था। परन्तु **देशमुखों** की अपेक्षा उसका हिस्सा काफी कम होता था। वह राजस्व मुक्त भूमि का भी हकदार था। उसका पद वंशानुगत था। अधिकांश मामलों में यह पद ब्राह्मणों को दिया जाता था।

गोलकुंडा में **परगना** स्तर पर राजस्व वसूलने का कार्य **हवलदार** किया करता था। इस **पद** की सार्वजनिक तौर पर बोली लगाई जाती थी और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को यह पद प्रदान किया जाता था। हालांकि **सरसिम्त** (**सिम्त/तर्फ** का प्रभारी) उसके कार्यों पर निगरानी रखता था, परन्तु व्यावहारिक तौर पर वह अपनी मर्जी का मालिक होता था। उसका मुख्य कार्य राजस्व वसूल करना और उपयुक्त समय पर उपयुक्त राशि केन्द्र को प्रदान करना था। अधिकांशतः **यह** पदाधिकारी बनिया या ब्राह्मण होता था।

निजामशाही राज्य में ये राजस्व पदाधिकारी मुख्य रूप से ब्राह्मण थे। उन पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें मुसलमान पदाधिकारियों की निगरानी में रखा जाता था।

आदिलशाही राज्य में **अमीर जुमला** विभाग राजस्व प्रशासन की देख-रेख करता था, जिसका प्रमुख अधिकारी **वकील** होता था। **सरकार** स्तर पर भू-राजस्व वसूली की जिम्मेदारी **सूबेदार** की होती थी।

जदुनाथ सरकार का मानना है कि शिवाजी ने **जमीदारों, देशमुखों, देसाइयों, पाटिलों**, आदि जैसे बिचौलियों को बिल्कुल हटा दिया था। परन्तु सतीश चन्द्र का मानना है कि शिवाजी ने केवल इन बिचौलियों की असीमित शक्ति को कम किया था। उसने राजस्व वसूली की निगरानी और निरीक्षण के लिए सीधे अपने राज्य अधिकारियों को नियुक्त किया था। राजस्व अधिकारियों को अपने हिस्से से ज्यादा अंश लेने की मनाही थी। ऐसा करने वाले को कड़ा दंड दिया जाता था।

पेशवाओं के अधीन **सरसूबेदारों** के पास राजस्व संबंधी असीम शक्ति आ गयी। वह **कमाविसदारों** आदि का वेतन निश्चित करता था, उसे **रसद** (**कमाविसदारों** द्वारा अग्रिम भुगतान) को घटाने या बढ़ाने का अधिकार प्राप्त था। उसे राजस्व में छूट देने और यहां तक कि **फड़निस** को नियुक्त करने या पदच्युत करने का भी अधिकार था। पेशवाओं के अधीन राजस्व वसूल करने में **ममलतदारों** और **कमाविसदारों** ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। **परगनों** में वह पेशवा का प्रतिनिधि था (गोलकुंडा राज्य में ये अधिकार **हवलदार** के पास थे)। उसका कार्य **परगनों** और **परगने** के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों से राजस्व वसूल करना और उसे केंद्र तक पहुंचाना था। सामान्य तौर पर उन्हें कुछ **परगनों** का जिम्मा दे दिया जाता था। राज्य उनसे एक निश्चित अग्रिम राशि, **रसद** (अग्रिम भुगतान) प्राप्त करता था। ऐसी स्थिति में गांवों में और **सिम्तों के देशमुखों** और **मुकद्दमों**/पाटिल को **कमाविसदारों** को राजस्व वसूली पहुंचाने का निर्देश था।

कुछ मामलों में केन्द्र की अनुशंसा पर **सरसूबेदार ममलतदारों** की नियुक्ति कर सकता था। इन मामलों में **ममलतदार सरसूबेदार** को राजस्व का भुगतान करता था, सीधे केन्द्र को नहीं। उनको अपने निश्चित हिस्से से ज्यादा अंश लेने की मनाही थी।

एक रोचक तथ्य यह है कि कभी-कभी उन्हें राज्य के बाहर के खास क्षेत्रों के **कमाविस** का कार्य-भार भी सौंपा जाता था। उनसे स्वयं उस क्षेत्र को जीतने का आदेश दिया जाता था। इन मामलों में उन्हें सेना रखने का भी निर्देश होता था। उन सेनाओं को उस क्षेत्र के राजस्व से वेतन दिया जाता था न कि केन्द्र द्वारा। उनका वेतनमान आकर्षक था। वेतन के अलावा उन्हें पालकी, मशालची, रोशनी ढोने वाले और एक **अफ्तागीर** के रखरखाव के लिए भत्ता भी दिया जाता था। उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सीधे **मजूमदारों** (प्रतिदिन के लेखे की जांच के लिए) और **फड़नीस** की नियुक्ति करता था जो **रोजनामचा** लिखता था। वे सीधे राज्य के प्रति जिम्मेदार होते थे। भ्रष्ट पदाधिकारियों को दंड देने के लिए **अमीन** की नियुक्ति की जाती थी। एक दूसरा पदाधिकारी- **दफ्तरदार-महालों** की आय और व्यय का वार्षिक प्राक्कलन तैयार करता था। **कमाविसदारों** के लेखे की नियमित जांच करने के लिए केन्द्र खासतौर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था।

18.2.4 राजस्व की ठेकेदारी

मलिक अम्बर की व्यवस्था में ठेके पर राजस्व वसूलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने वंशानुगत ग्रामीण पदाधिकारियों की सहायता से सीधे किसानों से संबंध स्थापित करने की कोशिश की। शिवाजी ने भी मलिक अम्बर का अनुसरण किया। उसने न केवल राजस्व की नीलामी की प्रथा समाप्त कर दी बल्कि **देशमुखों** जैसे स्थानीय वंशानुगत राजस्व पदाधिकारियों की शक्ति भी काफी कम कर दी। हालांकि बाद में पेशवाओं के अधीन अग्रिम भुगतान के बदले में **कमाविसदारों** को भी ठेके पर वसूली करने के लिए दी जाने लगी। परन्तु सभी दक्खनी सल्तनतों में राजस्व वसूल करने के लिए आमतौर पर राजस्व

की नीलामी की प्रथा प्रचलित थी। राज्य सीधे अपने पदाधिकारियों से राजस्व नहीं वसूल करवाता था बल्कि सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था जो राज्य को एक निश्चित रकम देने का वादा करता था। ये राजस्व ठेकेदार अपने अधिकार दूसरों को दे दिया करते थे और यह आगे की ओर उप-हस्तांतरित होता जाता था।

राजस्व को नीलाम करने और इसे क्रमशः दूसरों को हस्तांरित और उपहस्तांतरित करने के कारण कृषकों पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण अवश्य कम हुआ होगा।

कृष्णा नदी के उत्तर में गोलकुंडा के तटीय क्षेत्रों के गर्वनर राज्य के अन्य हिस्सों में कार्यरत **हवलदारों** के समान ही राजस्व वसूलने की शर्तों पर पद प्राप्त करते थे। वे भी सट्टेबाजों की तरह व्यवहार करते थे और अन्य दक्खनी राज्यों की तरह ही अपने अधिकारों को दूसरों को उपहस्तांरित कर देते थे। केन्द्र सरकार **आमिलों** के माध्यम से उन पर नियंत्रण स्थापित करती थी परन्तु वे भी किसानों के कल्याण की अपेक्षा इस बात पर अधिक ध्यान देते थे कि राज्य को नियमित भुगतान मिलता रहे। बीजापुर में भी युसुफ आदिलशाह के शासनकाल से ही राजस्व नीलामी की प्रथा प्रचलन में थी।

18.2.5 स्वायत्त शासक

गोलकुंडा में गोदावरी पार के क्षेत्र और खम्मामेट्ट और मुस्तफानगर जिले स्वायत सरदारों/**राजाओं** के अधीन थे जो कुतुबशाही शासकों को नियमित रूप से कर दिया करते थे, परन्तु आन्तरिक मामलों में वे गोलकुंडा राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्र थे। विजयनगर शासन के पतन के बाद कई सरदार आदिलशाही राज्य के अधीन आ गये। आदिलशाही शासक कर मात्र से ही संतुष्ट थे, वे इन सरदारों/अधीनस्थ राजाओं के आन्तरिक मामलों में शायद ही कभी हस्तक्षेप करते थे। आदिलशाह ने हिंदु सरदारों से वार्षिक कर के रूप में तीन करोड़ रुपये प्राप्त किए। परन्तु ये कर नियमित नहीं थे। मौका मिलते ही ये सरदार/ शासक कर देने से मुकर जाते थे।

18.2.6 राज्य और किसान

राजस्व अधिकारियों के अत्याचार से किसानों को बचाने के लिए शिवाजी ने कुछ विशेष कदम उठाए। हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने **देशमुखों, देशपाण्डे, पाटिलों**, आदि की ताकत काफी कम कर दी। किसानों की भलाई के लिए उन्होंने सभी प्रकार के उपकरों **अबवाब** को भी समाप्त कर दिया। यहां तक कि उन्होंने अपने राज्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की जो व्यक्तिगत रूप से जाकर वसूली का निरीक्षण करते थे। पदाधिकारियों को निर्धारित राशि से ज्य. कर वसूल करने की मनाही थी। पलायन करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए (जो अपनी ज़मीन छोड़ चुके होते थे) और उन्हें वापस बुलाने और बसने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कभी-कभी राजस्व पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता था कि वे बकाया राशि की मांग न करें। बकाया राशि वसूलने के लिए किसानों के औजारों और खेती के सामानों को जब्त न करने के भी आदेश थे। राजस्व की वसूली उचित समय पर करने पर जोर दिया गया उन्हें बुआई तथा जुताई के समय अथवा जब फसल खेत में खड़ी हो तब राजस्व वसूली की मनाही थी। अकाल, बाढ़ और फसलों के नष्ट होने पर किसानों को विशेष रियायतें दी जाती थी। जरूरत के समय किसानों को नगद, बीज और हलों के रूप में **तकावी** ऋण दिये जाते थे, जिसे वे आसान किश्तों में अदा करते थे।

परन्तु जल्द ही पेशवा शासकों के समय शिवाजी की व्यवस्था में बुराईयां आ गयी। **कमाविसदार** करीब-करीब राजस्व-ठेकेदारों के रूप में कार्य करते थे और पेशवाओं को **रसद** के रूप में अग्रिम राशि देते थे। उनकी शक्ति में वृद्धि होने से शिवाजी के उपायों से प्राप्त होने वाले लाभ समाप्त हो गये।

अपने नये राजस्व प्रयोग से मलिक अम्बर को कृषकों के हितों की रक्षा करने, कृषि को बढ़ावा देने और जितना संभव था उतना बिचौलियों को हटाने में सफलता तो मिली परन्तु उसकी व्यवस्था में कुछ दोष थे जिन्हें बाद में शिवाजी ने ठीक किया। अनुमानित आकलन करने की प्रथा काफी दोषपूर्ण थी क्योंकि यह न तो वास्तविक उत्पादन पर और न ही सही मूल्यांकन पर आधारित थी।

बीजापुर और गोलकुंडा शासक भी पूरे राजस्व की नीलामी कर दिया करते थे जिसके कारण राजस्व पदाधिकारियों की शक्ति बढ़ी। ये सभी राजस्व पदाधिकारी आमतौर पर शोषक थे और किसानों से ज्यादा से ज्यादा रकम उगाहने के प्रयास में रहते थे। राज्य और उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी तब तक कोई चिंता नहीं करते थे जब तक कि उन्हें उनका तथा राज्य का हिस्सा नियमित रूप से मिलता रहता था। वे किसानों के कल्याण की परवाह नहीं करते थे।

आपको याद होगा कि मुगलों ने दक्खन पर अधिकार स्थापित करने के बाद यहां राजस्व प्रशासन की अपनी व्यवस्था कायम की। आप अब तक यह जान गये होंगे कि मुगलों ने 1636 ई. में अहमदनगर और क्रमशः 1686 ई. और 1687 ई. में बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधिकार में ले लिया था। इस खंड की इकाई 16 में मुगलों के राजस्व प्रशासन की विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। यह रोचक तथ्य है कि जिस समय मुगल दक्खन में अपनी व्यवस्था आरोपित करने की कोशिश कर रहे थे उस समय **देशमुख** और **देशपाण्डे** की उपस्थिति भी कायम थी जिनके स्वार्थ जमीन के साथ गहरे रूप में जुड़े हुए थे। जब मुगलों ने **जागीरदारों** के रूप में एक नवीन वर्ग (**सरअंजम से भिन्न**) को लादने की कोशिश की तो हितों का आपसी टकराव उत्पन्न हुआ। सभी वर्ग किसानों से ज्यादा से ज्यादा वसूलने के प्रयत्न में जुट गये, जिसका किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार का माहौल बनने से ग्रामीण स्तर पर तनाव पैदा हो गया। आपने इस खंड की इकाई 17 में पढ़ा होगा कि कैसे दक्खन में कृषक वर्ग और उच्च अधिकार प्राप्त वर्ग के बीच के तनाव के कारण मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को गहरा धक्का पहुंचा। बाद में यह मुगल साम्राज्य के पतन के लिए महत्वपूर्ण तत्व साबित हुआ।

18.3 भू-राजस्व के अतिरिक्त अन्य कर

भू-राजस्व के अतिरिक्त एक किसान को अन्य प्रकार के अवैध उपकर और **अबवाब** भी देने पड़ते थे। मराठा और बीजापुर राज्य के अधीन इनकी संख्या पचास थी। इसके अतिरिक्त उनसे बलपूर्वक मजदूरी (बेगार) भी कराई जाती थी। शिवाजी ने सभी अवैध उपकरों को समाप्त कर दिया था।

सीमा शुल्क भी राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत था। परन्तु आयात और निर्यात पर लगाया गया शुल्क काफी कम था। यूरोपीय कम्पनियों को इसमें कुछ छूट भी दी जाती थी। गोलकुंडा (कुरनूल) और बीजापुर (रायचूर दोआब) राज्यों की हीरों की खानें भी राज्य की आय के प्रमुख स्त्रोत थे। इसके अतिरिक्त नमक, तम्बाकू सब्जियों, ताड़ी (ताड़ का सड़ाया हुआ रस), आदि पर कई प्रकार के कर लगाये गये थे। आदिलशाही राज्य को **जजिया** से भी आय होती थी। इसके अलावा मुद्रा (टकसाल) टंकण से प्राप्त आय, **पेशकश** (नजराना) और युद्ध की लूट, आदि भी राज्य की आय के महत्वपूर्ण स्त्रोत थे।

चौथ और सरदेशमुखी

ये दोनों कर मराठा राज्य की आय के प्रमुख स्त्रोत थे। कुछ लोग इसे मात्र लूट मानते हैं। मराठा शासकों द्वारा समग्र मराठा राज्य के राजस्व पर 10 प्रतिशत लगाये जाने वाले कर को **सरदेशमुखी** के नाम से जाना जाता था। शिवाजी ने इस पर देश के सर्वोच्च प्रधान होने की हैसियत से अपना दावा पेश किया। (**सरदेश मुख** अर्थात् **देशमुखों** का प्रधान)

मराठा शासक अपने पड़ोसी सरदारों और राजाओं से, जो उनके राज्य में शामिल नहीं थे और उनकी मातृभूमि/**स्वराज्य** का हिस्सा नहीं थे, चौथ (कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा) वसूल करते थे।

बोध प्रश्न 2

1) निम्नलिखित का आपस में मिलान करें :

i)	**जमाबंदी**	क)	परगना स्तर पर राजस्व वसूली का प्रभारी
ii)	**कुलकर्णी**	ख)	गांव का मुखिया
iii)	**कारकुन**	ग)	ग्रामीण लेखाकार
iv)	**देसाई**	घ)	अनुमानित राजस्व
v)	**पाटिल**	ड)	लिपिक

2) पेशवाओं के अधीन **कमाविसदारों** के उदय का विश्लेषण कीजिए।

....

....

....

....

....

3) राजस्व के ठेकेदारों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

....

....

....

....

....

18.4 दक्षिण भारत में राजस्व व्यवस्था

इस पाठ्यक्रम की इकाई 3 में हम पहले ही बता चुके हैं कि कृष्णदेव राय (1530 ई. से) के समय में ही **नायक** राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 16वीं शताब्दी का अंत होते-होते पांच **नायक** राज्य-इक्केरी, मैसूर, सेन्जी, तंजावूर और मुदरई—उभर कर सामने आये। 1565 ई. में दक्खन राज्यों की मिली-जुली सेना द्वारा तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर शासक की हार का फायदा उठाकर बीजापुर और गोलकुंडा शासकों ने विजयनगर के क्षेत्रों पर आधिपत्य जमा लिया। मुगल दबाव के कारण भी दक्खनी सुल्तान दक्षिण की ओर विस्तार के लिए बाध्य थे। मालाबार क्षेत्र में कोई ज्यादा बड़े राज्य नहीं थे। इस क्षेत्र में कन्नानूर, कालिकट और कोचीन राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इस पृष्ठभूमि में आइए इन दक्षिण भारतीय राज्यों की भू-राजस्व व्यवस्था का विश्लेषण करें।

18.4.1 नायक राज्य

इन राज्यो की भू-राजस्व व्यवस्था पर विचार करने से पूर्व हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि ये **नायक** राज्य विजयनगर के ही अवशेष थे और इनकी आधारभूत भू-व्यवस्था भी समान थी। हम इकाई 3 में पहले ही बता चुके हैं कि विजयनगर शासन में राजा सर्वप्रमुख था। उसके बाद **नायकों** का और फिर **पोलिगरों** का स्थान आता था जिनका

पलयमों पर अधिकार था। गांव सबसे छोटी इकाई थी। हालांकि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में विजयनगर शासक की शक्ति कमजोर हो गयी थी फिर भी केन्द्र तक राजस्व का एक भाग अभी भी पहुंच रहा था। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक सेन्जी और मदुरई **नायक** कुछ राशि भेजते रहे। हालांकि ओडियार (मैसूर) और इक्केरी **नायकों** ने **नजराना** देना पूरी तरह से बंद कर दिया था। अंततः 1610 ई. में मैसूर के राजा ओडियार ने विजयनगर के स्थानीय प्रतिनिधि से औपचारिक रूप से श्रीरंगपट्टम प्राप्त कर लिया और विजयनगर के शासक से अपने संबंध पूर्ण रूप से विच्छेद कर स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने लगा। हमें **नायकों** की भू-राजस्व व्यवस्था का पूरा विवरण प्राप्त नहीं है। हालांकि भू-राजस्व उनके राज्य की आय का प्रधान स्त्रोत था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि मदुरा के **नायक** कुल उत्पादन का आधा भाग राज्य के हिस्से के रूप में वसूल करते थे। ऐसा लगता है कि वे राजस्व नगद रूप में वसूल किया करते थे। राज्य की संपूर्ण भूमि **पोलिगरों** को नहीं दी जाती थी। शासकीय भूमि (**भंडारवडा**) हालांकि **पलयमों** की अपेक्षा कम थी परन्तु यह भूमि सर्वोत्तम होती थी। कर निर्धारण और वसूली के लिए मदुरा के **नायकों** ने वृहद राजस्व तंत्र स्थापित कर रखा था। परंतु **पोलिगर** नजराने के रूप में एक मुश्त भुगतान किया करते थे जो कुल उत्पाद का 1/3 हिस्सा होता था। परंतु कभी-कभी सार्वजनिक कार्य करने के लिए **पोलिगरों** को नजराने देने से पूरी छूट मिल जाती थी। इसी प्रकार कमजोर **नायक** को **पोलिगर** पूरा भुगतान नहीं करने का प्रयास करते थे। इकाई 3 में आप पढ़ चुके हैं कि 16वीं शताब्दी तक आते आते "**आनुवांशिकता**" अपने उत्कर्ष पर थी। इन **पोलिगरों** ने अपनी भूमि अपने पैतृक अधिकार प्राप्त क्षेत्रों के निकट ही प्राप्त करने का प्रयास किया। (विशेषतः मारवार सरदार इस आधार पर तेजी से फैले)। इन इलाकों में **पोलिगर** लगभग स्वतंत्र हो गये। यहां तक कि इन **पोलिगरों** ने अपनी सैन्य और प्रशासनिक संरचना खड़ी कर ली थी। उन्होंने अपने संबंधियों तथा अधीनस्थ सरदारों, जो **सर्वइक्करार** के नाम से जाने जाते थे, के बीच क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया था। ये **पोलिगरों** को सैनिक सहायता देते थे और नजराना प्रदान करते थे। ये अधीनस्थ सरदार ग्रामीण मुखिया से नजराना प्राप्त करते थे।

वसूली की इस प्रक्रिया में इतने मध्यस्थ शामिल होते थे कि **नायकों** के पास काफी कम राशि पहुंच पाती थी। सी. हयवदन राव के अनुसार दक्षिण भारत में भू-राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 अंश होता था और **मालिक** (अगर किसान से अलग कोई दूसरा व्यक्ति हो) को अलग से 1/4 हिस्सा मिलता था। पहले वर्ष में नयी खेती की गई भूमि पर राजस्व नहीं लगाया जाता था (गोदावरी डेल्टा में) और दूसरे वर्ष 1/4 हिस्सा लिया जाता था।

इस तथ्य का उल्लेख मिलता है कि मैसूर में ओडियार शासक चिक्कदेवराजा ओडियार (1673-1704) ने भूमि कर को व्यवस्थित करने की कोशिश की थी। वह अपने पदाधिकारियों को वेतन आधा नगद और आधा फसल (वस्तु) के रूप में दिया करता था। उसने आदेश दिया था कि कोई भी पदाधिकारी अपनी आय से अधिक व्यय नहीं करेगा। कुशल राजस्व नीति के फलस्वरूप उसके कोष में 9 करोड़ **पगोडा** जमा हो गए थे। उसकी जनता उसकी राजस्व संबंधी इन सफलताओं के कारण उसे '**नौकोटि नारायण**' कहती थी।

इक्केरी के **नायकों** (केलादी नायक) के शासन काल में भूमि को चारों ओर से पड़ोसी गांव के लोगों की उपस्थिति में पत्थरों से, जिस पर लिंग की आकृति चिन्हित होती थी, सीमाबद्ध कर दिया जाता था ताकि जमीन को लेकर कोई विवाद न हो। गांवों की कुल राजस्व आय का आकलन किया जाता था और व्यय की मदों को लिखा जाता था। बाढ़ आदि आने पर कर में छूट दी जाती थी। परंतु करों की चोरी से सख्ती से निपटा जाता था। ग्रामीण स्तर पर **पुरुपत्यागार** सभी स्थानीय करों को वसूल करता था। वह राजा द्वारा दिए गए भू-अनुदानों का संरक्षक भी होता था। **गांविके** राजस्व की वसूली किया करता था। लेखाकारों (**कर्णिक**) और कोषाधिकारियों–**भंडारा, परिपत्यगार, सेनाबोवा** और **नवाधिकारी** की चर्चा मिलती है जिन्हें कुछ महत्वपूर्ण शहरों और गांवों में नियुक्त किया जाता था।

शिवप्पा नायक (1645-60 ई०) के पहले भू-राजस्व व्यवस्था अविकसित थी। उसने पहली बार राजस्व व्यवस्था को नियमित किया। उसकी भूमि व्यवस्था और कर निर्धारण आदेश को **'शिवप्पा नायक शिस्त'** के नाम से जाना जाता था। उसने भूमि का वर्गीकरण किया: मिट्टी की उर्वरा शक्ति निश्चित की; और औसत उत्पादन के आधार पर लगान तय किया। भूमि को पांच श्रेणियों में विभक्त किया गया। i) **उत्तमम्** : काली मिट्टी ii) **मध्यमम्** : लाल और मिश्रित मिट्टी iii) **कमोष्ठम** : कम पानी मिली मिश्रित काली मिट्टी iv) **अधम्** : नमी रहित अर्थात कड़ी मिट्टी, और v) **अधमाधमम्** : गर्म बालुई सुखी मिट्टी-बंजर भूमि। इनमें से प्रत्येक श्रेणी के एक टुकड़े पर लगातार बारह साल तक राजा के लिए खेती होती थी। बोये गये बीज और उत्पादन के मूल्य का सही-सही हिसाब रखा जाता था। पांच वर्षों के कुल उत्पादन और उसके बाजार मूल्य का आकलन किया जाता था। तब प्रत्येक वर्ष का औसत निकाला जाता था। इस औसत का 1/3 हिस्सा राज्य के कोष में जाता था। इसके अलावा अधिकतम और न्यूनतम कर निर्धारण की दरें भी निर्धारित की गयी थीं।

सुपारी के बागानों के मामले में उसने 1000 सुपारी के पेड़ों की एक इकाई बनाई थी। कर निर्धारण के उद्देश्य से इनमें से प्रत्येक पेड़ की ऊंचाई 18 फीट से कम नहीं होनी चाहिए थी।

17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भूमि कर की प्रकृति दक्खन राज्यों के समान ही शोषण पर आधारित थीं। **नायकों** ने राजस्व वसूली की परंपरागत व्यवस्था को बदलने की शायद ही कोशिश की (जैसा कि विजयनगर शासकों के अधीन मौजूद था)। **नायक** इन मध्यस्थों (**पोलीगर**) पर नियंत्रण स्थापित करने में बहुत सफल नहीं रहे और ये राजस्व वसूली का अधिकांश हिस्सा अपने लिए रख लिया करते थे। आर. सत्यनाथ अय्यर ने मदुरई **नायकों** के अधीन किसानों के शोषण की जमकर आलोचना की है। उनके अनुसार, ''अव्यवस्था और अन्याय पर आधारित राज्य ज्यादा दिनों तक स्वयं को अपने शत्रुओं से बचाकर नहीं रख सकता है और न ही राष्ट्र की प्रगति में भी इसकी कोई भूमिका होती है''। हालांकि संजय सुब्रहमण्यम का मानना है कि इन **पोलिगरों** (उन्होंने इन्हें पोर्टफोलियों कैपिटलिस्ट अर्थात् ''निवेश पूंजीपति'' की संज्ञा दी है।) ने व्यापार और वाणिज्य, व्यवसायिक शहरों, सिंचाई व्यवस्था, जिससे किसानों को फायदा हुआ, आदि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः उनके अनुसार इस समय दक्षिण भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई गिरावट नहीं आई थी। उन्होंने इस तर्क का खंडन किया है कि तालिकोटा के युद्ध के बाद दक्षिण भारतीय राजनैतिक व्यवस्था युद्ध में उलझ कर रह गयी और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में गिरावट आनी शुरू हो गई।

18.4.2 मालाबार राज्य

मालाबार के राज्य वे अपवाद थे जहां कोई भूमि कर नहीं लगाया जाता था। (हालांकि कुछ इतिहासकारों ने इस अनुमान पर प्रश्नचिहन लगाया है)। यहां राज्य की आय का मुख्य स्रोत सीमाकर, सरदारों/राजाओं की व्यापार में व्यक्तिगत हिस्सेदारी और राजा/शासक के सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्रों से प्राप्त आमदनी थी।

वस्तुतः मालिक कृषक अपनी जमीन मन्दिरों को भेंट दे देते थे और उनके काश्तकार के रूप में खेती करते थे। इसके बदले में वे मन्दिरों को कुल उपज का 1/8 से 1/6 अंश देते थे। मन्दिरों को कर देना किसानों के लिए लाभप्रद था क्योंकि राज्य की मांग की तुलना में यह कम होता था। इसके अलावा मन्दिरों को दान दी गयी सारी जमीनें राजस्व मुक्त थी। अतः राज्य को कोई भूमि कर प्राप्त नहीं होता था। मन्दिर के हाथों में इतना अधिक धन संग्रहीत होने के कारण अक्सर शासक और मन्दिर में टकराव उत्पन्न हो जाता था।

18.4.3 भू-राजस्व के अतिरिक्त अन्य कर

सीमा कर (मालाबार में इसे **चुकन** के नाम से जाना जाता था) राजस्व का एक महत्वपूर्ण और बड़ा स्त्रोत था। मालाबार राज्य में किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी सम्पत्ति के

हस्तांतरण पर उत्तराधिकार शुल्क (**पुरुषांतरम्**) लगाया जाता था। यह कर कृषकों पर नहीं बल्कि व्यापारियों पर लगाया जाता था। विभिन्न प्रकार के दण्ड (**पिजहा**) भी नाडु की आय के मुख्य स्त्रोत थे। एक प्रकार का "राज्य अधिग्रहण" का प्रचलन भी मौजूद था। जो सरदार बिना किसी वैध उत्तराधिकारी के मर जाते थे उनकी सम्पत्ति राज्य अधिगृहीत कर लेता था। सरदार, शासक जहाजों को लूट कर भी अपनी आय बढ़ाते थे। वंश आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई व्यक्ति बच्चा गोद लेता था तो उसे एक प्रकार का कर देना होता था। इससे भी राज्य को आय होती थी।

मदुरई **नायकों** के राजस्व का एक प्रमुख स्त्रोत मोती और शंख का व्यापार थे। परन्तु इसकी वसूली को लेकर अक्सर मारवा राजाओं से उनकी लड़ाई हो जाया करती थी क्योंकि मारवा शासक इसे वसूल करने का अधिकार अपना मानते थे। डच मामूली दामों पर मोती खरीद कर एक बड़ी राशि पर कब्जा करने में सफल हुए। अभिलेखों में हथकरघों और बुनकरों, आयात और निर्यात, भू और जल परिवहन और चुंगी कर, आदि का उल्लेख मिलता है।

इक्केरी **नायक बागान** खेती (**बिरद**) पर अतिरिक्त कर लगाते थे, त्यौहारों पर उपहार (**ट्रेम्बकनिके**) लेते थे, मछुआरों (**बेस्तगरके**), जंगल के उत्पादन (**बनडा सोगे**), धोबियों (**मदिहाविके**) पर भी कर लगाया जाता था। ग्रामीण लेखपालों के रखरखाव के लिए (**सेनाबोवाना वर्तने**), ग्राम या शहर में कार्यरत सेवकों की सेवाओं पर (**वर्तने**) भी कर लगाया जाता था। इसके अलावा मजदूरों पर, तथा शहर के बाज़ारों (**मुलविस**) पर भी कर लगाया जाता था। **पट्टी** मराठों की चौथ की तरह का कर था। मेलों, विवाहों, जुलूसों और मन्दिर में आयोजित त्योहारों पर भी कर लगता था।

बोध प्रश्न 3

1) निम्नलिखित का मिलान कीजिए :

1)	**भण्डारवडा**	क)	दक्षिण भारतीय स्वर्ण मुद्रा
2)	**पोलिगर**	ख)	सीमा शुल्क
3)	**पगोडा**	ग)	ग्रामीण स्तर पर राजस्व संग्रहक
4)	**चुकन**	घ)	राजकीय भूमि
5)	**पुरुपत्यगार**	ङ)	**पलयम** का प्रभारी

2) "**शिवप्पा नायक शिस्त**" पर 50 शब्दों में एक टिप्पणी लिखिये।

....

....

....

....

18.5 सारांश

लगभग सभी दक्खनी राज्यों की राजस्व व्यवस्था कुछ स्थानीय विभिन्नताओं के साथ मलिक अम्बर के प्रारूप पर आधारित थी। मलिक अम्बर ने वास्तविक खेती की गयी भूमि को अपने कर निर्धारण का आधार बनाया। हालांकि उसका राजस्व निर्धारण वास्तविक माप के स्थान पर अनुमानित आकलन पर आधारित था। बाद में मराठा वित्त मंत्री अन्नाजी दात्तों ने अपने कर निर्धारण में वास्तविक माप को आधार बनाया और इस प्रकार मलिक अम्बर की व्यवस्था के दोष में सुधार किया। दक्खनी राज्यों का कर निर्धारण '**प्रगतिशील**' था अर्थात् यहां मिट्टी की उर्वरा शक्ति, बोई जाने वाली फसल, आदि को देखते हुए कर निर्धारण किया जाता था। राजस्व मांग कुल उपज का 1/3 से लेकर 1/2

हिस्से तक थी। शिवाजी ने सभी अवैध उपकरों को समाप्त कर राजस्व मांग को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया था। राजस्व के निर्धारण और वसूली के लिए राज्य के पास राजस्व अधिकारियों का एक पूरा तंत्र होता था। उनमें से अधिकांश को राजस्व मुक्त भूमि अनुदान के जरिए वेतन मिलता था या फिर वसूले गये राजस्व में से उनकी राशि निर्धारित होती थी। आमतौर पर यह माना जाता है कि शिवाजी ने **जमींदारों**, **देशमुखों**, **देसाइयों**, **पटेलों**, आदि मध्यस्थों को बीच से हटा दिया था। परन्तु वास्तव में शिवाजी ने राज्य और किसानों की भलाई के लिए इन वर्गों के विशेषाधिकारों और शक्तियों को केवल कम किया था।

लेकिन पेशवायों के अधीन **कमाविसदारों** के उदय के साथ इस वर्ग को पुनः कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हुआ और यहां तक कि राजा को प्राप्त कुछ विशेषाधिकारों को भी मंजूरी दी गयी। राजस्व को ठेके पर देना दक्खनी राज्यों की राजस्व संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। हालांकि राज्य **तकावी** के रूप में किसानों को कुछ रियायतें देता था परन्तु आमतौर पर राज्य राजस्व की वसूली मात्र से संतुष्ट रहता था और किसानों के कल्याण की उसे परवाह नहीं होती थी। मराठा **चौथ** और **सरदेशमुखी** भी वसूल किया करते थे। **चौथ** "वैध" लूट से ज्यादा कुछ नहीं थी।

दक्षिण भारत में, इस काल में **नायक** राज्यों का उदय हुआ। हालांकि भू-राजस्व का कुछ अंश केन्द्र (विजयनगर के राजाओं) तक भी पहुंचता था परन्तु **नायक** शासक लगभग स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। **नायकों** के अधीन अधिकांश भूमि **पोलिगरों** के बीच वितरित थी जो **पलयमो** के प्रभारी थे। ये एक मुश्त रकम, राजस्व के रूप भुगतान कर देते थे जो कुल उत्पादन के 1/3 अंश के बराबर होता था। "**आनुवांशिकता**" के उदय के साथ इन **पोलिगरों** ने, खासकर कमजोर **नायकों** को, नियमित रूप से भुगतान करना बंद कर दिया। मैसूर के ओडियार शासक चिक्कदेव राजा ओडियार और शिवप्पा नायक ने दक्षिण भारत के राजस्व प्रशासन को निश्चित स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया। परन्तु आमतौर पर **नायक** शासकों ने कभी भी राजस्व निर्धारण और वसूली की परम्परागत व्यवस्था को छेड़ने की कोशिश नहीं की। **पोलिगरों** के बढ़ते दबाव के कारण **नायक** राज्यों में किसी को भी किसानों के कल्याण को चिंता नहीं रह गई थी। हालांकि इस बात को लेकर मतभेद है कि दक्षिण भारत की राजस्व व्यवस्था को किस हद तक शोषण पर आधारित व्यवस्था कहा जा सकता है।

मालाबार राज्यों में भूमि कर राज्य की आय का मुख्य स्त्रोत नहीं था। यहां सीमा शुल्क राज्य की आय का मुख्य स्त्रोत था।

18.6 शब्दावली

चौथ : पड़ोसी राजाओं से वसूले गये कुल उत्पादन का 1/4 हिस्सा।

कमाविसदार : राज्य का राजस्व वसूल करने वाला एक मध्यम श्रेणी का अधिकारी।

काठी : 5 हाथ और 5 मुट्ठी लंबी मापने की एक छड़।

पगोड़ा : दक्खनी स्वर्ण मुद्रा।

रुक्का : मराठा तांबे की मुद्रा जिसका वजन 1/4 **तोला** होता था, 40 रुक्का-1 टका।

टका : एक रुपये का 1/4 अंश।

18.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) देखिए उपभाग 18.2.1

2) मराठा अधिकारी तंत्र में अन्नाजी दात्तों के पद का उल्लेख कीजिए। राजस्व व्यवस्था में उनके द्वारा किए गए नये प्रयोगों का उल्लेख कीजिए। यह बताइए कि उन्होंने वास्तविक माप के आधार पर एक व्यवस्थित कर निर्धारण प्रणाली विकसित की और मलिक अम्बर की कर निर्धारण प्रणाली की कमियों को सुधारा।

बोध प्रश्न 2

1) 1) घ 2) ग 3) ङ 4) क 5) ख

2) देखिए उपभाग 18.2.3 बताइए कि किस प्रकार **कमाविसदार** एक शक्तिशाली राजस्व अधिकारी के रूप में उभरे। उनके कर्तव्यों और विशेषाधिकारों का उल्लेख कीजिए।

3) देखिए उपभाग 18.2.4 राजस्व वसूलकर्ता के रूप में राजस्व ठेकेदारों के महत्व को और उनके विशेषाधिकारों को विश्लेषित कीजिए। इसके अलावा राज्य और किसानों के सम्बन्धों की भी चर्चा कीजिए।

बोध प्रश्न 3

1) 1) घ 2) ङ 3) क 4) ख 5) ग

2) देखिए उपभाग 18.4.1 बताइए कि यह शिवप्पा **नायक** की राजस्व कर निर्धारण व्यवस्था थी। उन्होंने अपने राज्य की राजस्व व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया था। इसके साथ-साथ उनके द्वारा लाये गये परिवर्तनों का भी उल्लेख कीजिए।